

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 32/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/152

अनवान

1. घीसुरसिंह पुत्र डुगरसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. अन्तरकंवर पत्नि शम्भुसिंह सोलंकी निवासी खोलेडा तहसील चारभुजा जिला राजसंमद
2. कैलाशकंवर पत्नि नाथुसिंह सोलंकी निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
3. नारायणकंवर पत्नि शैलसिंह सोलंकी निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
4. सज्जनकंवर पत्नि मोतीसिंह राठौड़ निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
5. फतेहसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. हेमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. फेपसिंह पुत्र रूगनाथसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. अर्जुनसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. इन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. दुर्गेशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 12 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 4/12/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1970/1080 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 1984/1965 रकबा 1.06 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.20 है 0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 438 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत् 2076 से 2079 की पेश की है।



सहायक कलेक्टर
(रा.सी.ओ.) रायपुर

2. प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमवाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.04.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।
3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 12 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 11.11.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 1 व 4 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है तथा विपक्षी संख्या 13 औपचारिक पक्षकार है।
4. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1970/1080 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1984/1965 रकबा 1.06 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.20 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 438 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।
5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1970/1080 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1984/1965 रकबा 1.06 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.20 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 438 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।



सहायक कमिश्नर
रायपुर

::- आदेश -::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1970/1080 रकवा 0.14 है०, आराजी संख्या 1984/1965 रकवा 1.06 है० कुल कित्ता 2 कुल रकवा 1.20 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 438 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के कराये जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 4/12/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(सहायक जिला अधिकारी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 32/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/152

अनवान

1. घीसुसिंह पुत्र डुगरसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. अन्तरकंवर पत्नि शम्भुसिंह सोलंकी निवासी खोलेडा तहसील चारभुजा जिला राजसंमद
2. कैलाशकंवर पत्नि नाथुसिंह सोलंकी निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
3. नारायणकंवर पत्नि शैलसिंह सोलंकी निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
4. सज्जनकंवर पत्नि मोतीसिंह राठौड़ निवासी सोलंकिया गुढा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
5. फतेहसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. हेमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. फेपसिंह पुत्र रूगनाथसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. अर्जुनसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. इन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. दुर्गेशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

दिनांक:- 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 4-12-2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1970/1080 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1984/1965 रकबा 1.06 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.20 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 438 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो विना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा